न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना जिला जालौर

पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 08/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह 2. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत निवासीगण झोटड़ा तहसील चितलवाना जिला जालौर (राज0)		1. गुलाबसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत निवासी झोटड़ा तहसील चितलवाना जिला जालौर (राज0) 2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना जिला जालौर

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. एडवोकेट श्री गोरधनराम विश्नोई वादीगण की ओर सें।
2. एडवोकेट श्री शंकर चौधरी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें।
3. नायब तहसीलदार चितलवाना, राज पैरोकार

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक – 9-3-18

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक्ट 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया की ग्राम झोटड़ा पटवार हल्का सिवाड़ा तहसील चितलवाना के खेत खाता संख्या 143 के खेत खसरा नम्बर 513 रकबा 2.31 हैक्टर व खेत खाता संख्या 30 के खेत खसरा नम्बर 1504 /441 रकबा 0.04 हैक्टर ,खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर,खसरा संख्या 521 रकबा 0.03 हैक्टर जुमलै रकबा 7.14 हैक्टर की आराजी आयी हुई है तथा इस प्रकार मौजा

सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना

नाराली पटवार सिवाड़ा के खेत खाता संख्या 19 के खेत खसरा संख्या 965 रकबा 2.85 हैक्टर का राजस्व रेकर्ड में गुलाबसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत निवासी झोटड़ा के नाम से दर्जसुदा आया हुआ है। उपरोक्त आराजी का मौजीज गांव के पंच मुख्यानो व घर परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में वर्ष 2015 में संपूर्ण आराजी का मौके पर चल कर मौखिक बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार किया गया था। जिसमें वादीगण के हिस्से में ग्राम झोटड़ा पटवार हल्का सिवाड़ा के खेत खाता संख्या 143 के खेत खसरा संख्या 513 रकबा 2.31 हैक्टर व खेत खाता संख्या 30 के खेत खसरा संख्या 503/441 रकबा 0.04 हैक्टर ,खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर,खसरा संख्या 521 रकबा 0.03 हैक्टर जुमलै रकबा 7.14 हैक्टर रखा गया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह के हिस्से में मौजा नाराली पटवार हल्का सिवाड़ा के खेत खाता संख्या 19 के खेत खसरा संख्या 965 रकबा 2.85 हैक्टर रखा गया था। जिसमें कमी बेशी रकबा दोनो पक्षकारो द्वारा स्वीकार किया गया था। उपरोक्त कमी बेशी रकबा भूमि के कम उपजाऊ व उपजाऊ भूमि के हिसाब से रखा गया था। दोनो पक्षों की अपने अपने हिस्से में रहवासीये ढाणियां बनी हुई है तथा खेत मे कृषि कार्य के लिए बेरा आदि बना हुआ है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौखिक बंटवाड़े की तारीख से अलग अलग कब्जा काश्त चला आ रहा है,जो दोनो पक्षकारो का बदस्तुर है तथा वादीगण अपने हक हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त की भूमि को प्रतिवादी गुलाबसिंह की संयुक्त परिवार की खातेदारी आराजी में से अपने हक व मौके पर मौखिक बंटवाड़ा अनुसार काबिज व काश्त के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने से इश्तकरार हक,बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। दावा स्वीकार फरमावें।

2. दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया गया।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1 गुलाबसिंह द्वारा वादीगण के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इंकबालिया जवाब पेश किया गया तथा एक राजीनामा प्रार्थना पत्र दोनो पक्षों द्वारा पेश कर निवेदन किया गया की मौजा झोटड़ा पटवार हल्का सिवाड़ा के खाता संख्या 143 के खेत खसरा संख्या 513 रकबा 2.31 हैक्टर सम्पूर्ण व खाता संख्या 30 के खेत खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर मे से 1.23 हैक्टर जुमले रकबा 3.54 हैक्टर भूमि जो खसरा संख्या 513 के सेढा सेढे आयी हुई है,जो नक्शा परदर्श ए में पीले रंग

सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना

से दर्शायी गई है भूमि को वादी महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह के हिस्से में रखी गई तथा खेत खाता संख्या 30 के खेत खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर मे से 3.51 हैक्टर व खसरा संख्या 5.21 रकबा 0.03 हैक्टर जुमलै रकबा 3.54 हैक्टर आराजी वादी शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह के हिस्से मे रखी गई ,जो परदर्श नक्शा ए मे हरा रंग से दर्शायी गई है तथा दोनो खातेदारी खेतो में आने जाने की सुविधा को देखते हुए रास्ते के रूप में खसरा संख्या 1504/441 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा संख्या 520 में से रकबा 0.02 हैक्टर जुमलै रकबा 0.06 हैक्टर रास्ते के लिए उपयोग उपभोग शैतानसिंह व महेन्द्रसिंह की सामलाति रूप से रखी गई,जो नक्शा प्रदर्श ए में लाल रंग से दर्शायी गई हैं तथा प्रतिवादी गुलाबसिंह पुत्र वचनसिंह के हिस्से में मौजा नाराली के खेत खसरा संख्या 965 रकबा 2.85 हैक्टर जो नक्शा प्रदर्श बी में काला रंग से दर्शाया गयी भूमि रखी गई है। जिसमें कमी बेशी रकबा भूमि के उपजाऊ एवं कम उपजाऊ के रूप में दोनो पक्षकारों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा किया जाता है तो दोनो पक्षकार को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

4. दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरिये नक्शा ए व बी में दर्शायी गई भूमि के अनुसार बंटवाड़ा कर खातेदारी भूमि अलग अलग दर्ज की जावे।
5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा बंटवाड़ा के समर्थन में प्रस्तुत राजीनामा प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षैत्रफल,लगान व किस्म अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झोटड़ा पटवार हल्का सिवाड़ा के खाता संख्या 143 के खेत खसरा संख्या 513 रकबा 2.31 हैक्टर सम्पूर्ण व खाता संख्या 30 के खेत खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर मे से 1.23 हैक्टर जुमले रकबा 3.54 हैक्टर भूमि जो खसरा संख्या 513 के सेढा सेढे आयी हुई है,जो नक्शा परदर्श ए में पीले रंग से दर्शायी गई है भूमि को वादी महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह के हिस्से में रखी जाती है तथा खेत खाता संख्या 30 के खेत खसरा संख्या 520 रकबा 4.76 हैक्टर मे से 3.51 हैक्टर व खसरा संख्या 5.21 रकबा 0.03 हैक्टर जुमलै रकबा 3.54 हैक्टर आराजी वादी शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह के हिस्से मे रखी जाती है ,जो परदर्श नक्शा ए मे हरा रंग से दर्शायी गई है तथा दोनो खातेदारी खेतो में आने जाने की सुविधा को देखते हुए रास्ते के रूप में खसरा संख्या 1504/441 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा संख्या 520 में से रकबा 0.02 हैक्टर जुमलै रकबा 0.06 हैक्टर रास्ते के लिए उपयोग उपभोग शैतानसिंह व

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

महेन्द्रसिंह की सामलाति रूप से रखी जाती है ,जो नक्शा प्रदर्श ए में लाल रंग से दर्शायी गई हैं तथा प्रतिवादी गुलाबसिंह पुत्र वचनसिंह के हिस्से में मौजा नाराली के खेत खसरा संख्या 965 रकबा 2.85 हैक्टर जो नक्शा प्रदर्श बी में काला रंग से दर्शाई गयी भूमि रखी जाती है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शे ट्रेस में अमल दरामद तरमीम कर खातो का जमाबंदी में अंकन करे तथा इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में न तो प्रतिवादी स्वयं एवं न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे अथवा करावे। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो जारी हों। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 9-3-18 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना